न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस विश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 01/2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. पन्नाराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी पिथोलाई, तहसील व जिला नागौर	1. अर्जुनराम पुत्र मघाराम 2. रूघाराम पुत्र केशाराम 3. शंकरराम पुत्र केशाराम 4. मुलाराम पुत्र केशाराम 5. गंगाराम पुत्र केशाराम 6. धन्नी पत्नी केशाराम सभी जातियान जाट निवासीगण पिथोलाई, तहसील व जिला नागौर 7. तहसीलदार नागौर।

वकील वादी
1. श्री हेमाराम गोलिया,

वकील प्रतिवादीगण
1. श्री डुंगर राम चौधरी
2. श्री राजेश चौधरी

निर्णय

दिनांक :– 04.09.2020

वादी की ओर से निम्न वाद पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

1. यह हैं कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के सह कब्जे काश्त एवं सह खातेदारी के खेताय ग्रम पिथोलाई में खसरा हाल नम्बर 36, 37 व 52 रकबा 0.10, 27.13 व 28.15 तथा ग्राम छीला में खसरा नम्बर 218 रकबा 25 बीघा व ग्राम बु कर्मसोता में खसरा नम्बर 415 रकबा 13.03 कुल रकबा 95.08 बिस्वा भूमि स्थित हैं नकल जमाबंदी वर्तमान की साथ में सलंग्न हैं।
2. कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 6 तक के पिता व दादा के समय से ही संयुक्त खातेदारी के भूमि रहती चली आ रही हैं। वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 तक के पिता व दादा का देहान्त होने के पश्चात् उनके वारिसों के नाम उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये तथा आपसी सहमति व बंटवारा कर अलग अलग भूमि पर काश्त करने और उक्त पुस्तैनी भूमि वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 तक के नाम से है और वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 तक का हक व हिस्सा विधि अनुसार भी निहित हैं और उसी अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये।
3. यह हैं कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 तक के पिता व दादा के जीवन काल में ही आपसी सहमति से आज से काफी वर्ष पूर्व खेताय का मौख्कि बंटवारा किया गया जिस पर आज दिनांक तक उसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 तक के पिता व दादा काबिज काश्त रहते चले आ रहे है और खेतों में अलग अलग सींवे डाली हुई है तथा उसी अनुसार उक्त भूमि पर काबिज हो कर काश्त करने लगे ओर वर्तमान में भी वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 तक अपने पिता व दादा द्वारा किये गये बंटवारे के अनुसार कब्जा काश्त करते चले आ रहे है जो निम्न प्रकार हैं :–

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

A – कि प्रतिवादी सं. 1 अर्जुनराम के हक व हिस्से में कब्जा काश्त अनुसार खेत ग्राम पिथोलाई के खसरा नम्बर 37 में से 20.17 बीघा भूमि पश्चिमी दक्षिणी तरफ का हिस्सा व खेत ग्राम बु कर्मसोता के खसरा नम्बर 415 में से 10.04 बीघा भूमि पूर्वी तरफ का हिस्सा रखा गया हैं। प्रतिवादी सं. 1 के हक में कुल मिलाकर दो खसरों की कुल भूमि 31.01 बीघा भूमि दी गई हैं। प्रतिवादी सं. 1 का बाकी सभी भूमियों में किसी भी प्रकार से कोई हक व हिस्सा नहीं रखा गया हैं।

B – कि प्रतिवादी सं. 2 से 5 तक (स्व. केसाराम जी के वारिसान) के हक व हिस्से में कब्जा काश्त अनुसार खेत ग्राम पिथोलाईं के खसरा नम्बर 52 का सम्पूर्ण रकबा 28.15 बीघा भूमि का हिस्सा दिया गया हैं और खेत ग्राम बु कर्मसोता के खसरा नम्बर 415 में से 02. 19 बीघा भूमि पश्चिमी तरफ का हिस्सा रखा गया हैं। वादी सं. 2 से 5 तक के हक में कुल मिलाकर दो खसरों की कुल भूमि 31.14 बीघा भूमि दी गई हैं वादी सं. 2 से 5 तक का बाकी सभी भूमियों में किसी भी प्रकार से कोई हक व हिस्सा नहीं रखा गया हैं।

C – कि वादी पन्नाराम के हक व हिस्से में कब्जा काश्त अनुसार ग्राम पिथोलाई के खसरा नम्बर 36 का सम्पूर्ण रकबा 0.10 बीघा भूमि दी गई हैं तथा खसरा नम्बर 37 के रकबा 28.15 बीघा में से 06.04 बीघा की भूमि उत्तरी–पूर्वी दिशा की तरफ (अनुमानित नाम–उत्तरी दिशा 570 फीट, पूर्वी तरफ 254 फीट, दक्षिणी दिशा 570 व पश्चिमी तरफ 170 फीट) का हिस्सा व ग्राम छीला के खसरा नम्बर 218 का सम्पूर्ण रकबा 25 बीघा भूमि दी गई हैं। वादी के हक में कुल मिलाकर दो खसरों की कुल भूमि 31.14 बीघा भूमि दी गई हैं। वादी का बाकी सभी भूमियों में किसी भी प्रकार से कोई हक व हिस्सा नहीं रखा गया हैं।

D – कि प्रतिवादी सं. 6 धन्नी देवी के हक व हिस्से में किसी भी खसरे में कोई हिस्सा नहीं रखा गया हैं अर्थात् प्रतिवादी सं. 6 ने उपरोक्त खसरों की भूमियों में से कोई हिस्सा नहीं रखा गया हैं न ही इनका कब्जा काश्त हैं।

E – कि ग्राम पिथोलाई के खेत खसरा नम्बर 37 में उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे, पश्चिमी से पूर्वी तरफ एक रास्ता रखा गया हैं जिसकी 21 फीट चौड़ाई व कुल रकबा 12 बीस्वा भूमि दी गई हैं।

F – कि ग्राम पिथोलाई के खेत खसरा नम्बर 37 के पूर्वी तरफ वादी के हक व हिस्से की भूमि हैं और उसी अनुसार कब्जा काश्त में से इस भूमि में आने जाने के लिए 21 फीट चौड़ा रास्ता के रूप में, इसी खसरा नम्बर 37 की भूमि के उत्तरी सीमा पर 0.12 बीस्वा भूमि रखी गई हैं जो पश्चिमी तरफ कटाणी रास्ते से पश्चिमी से पूर्व की ओर चलता हैं अर्थात् उक्त भूमि 0.12 बीस्वा भूमि का उपयोग केवल और केवल रास्ते के रूप में उपयोग करने के लिए रखी गई हैं।

4. . यह हैं कि वादी व प्रतिवादीगण संत्र 1 से 6 तक के पिता व दादा के द्वारा पूर्व में आपसी सहमति से किये गये खेतों का बंटवारा व उसी अनुसार उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त होने के बाद भी राजस्व रिकोर्ड खतौनी/जमाबंदी में एवं नक्शा में अलग अलग बंट अनुसार इन्द्राज नहीं होने से यह वाद वास्ते बंटवाडा एवं घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

5. यह हैं कि वाद में बंटवाडा की दादरसी चाही हैं, जिस हेतु लेण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय नागौर की बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाकर वाद पेश किया जा रहा हैं तथा सिविल प्रक्रिया सहिंता की धारा 80 के अनुसार दो माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

आवश्यक प्रकृति का होने के कारण बीना नोटिस दिये ही पेश किया जा रहा हैं जिसके लिए एक अलग से प्रार्थना पत्र बाबत स्वीकृति बीना नोटिस दिये जाने हेतु पेश किया जा रहा हैं।

6. यह हैं कि वाद हेतुक बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 तक पक्षकारान द्वारा पूर्व में वादग्रस्त खेताय का आपसी सहमति से बंटवारा हो जाने के बाद भी राजस्व रेकर्ड खतौनी में माफिक बंट अलग अलग इन्द्राज नहीं होने से एवं राजस्व नक्शे में अलग से तरमीम, बंट अनुसार नहीं होने तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 तक ने पूर्व में किये गये बंटवारे को नहीं मानते हुए वादी को उसके बंट की भूमि से बेदखल करने की धमकी देने से बमुकाम पिथोलाई तहसील व जिला नागौर में पैदा हुआ।

7. यह हैं कि कोर्ट फीस वास्ते बंटवाडा 2 रूपया, वास्ते घोषणा खातेदारी 1 रूपया, वास्ते अन्य दादर्सी 1 रूपया कुल 6 रूपये के कोर्ट फीस स्टाम्प पेश हैं।

8. यह हैं कि वादग्रस्त खेताय की भूमि पिथोलाई, छीला व बू कर्मसोता तहसील व जिला नागौर में स्थित होने से न्यायालय हाजा को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त हैं।

9. यह हैं कि यह वाद विहित समय अवधि के भीतर पेश किया जा रहा हैं।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे :–

- कि वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि का बंट वाद के पैरा संख्या 4 में वर्णित बंट के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 तक के नाम खातेदारी अलग से घोषित की जावे एंव वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 तक ने मौखिक रूप से पूर्व में किये गये बंटवारे व उसी अनुसार कब्जा काश्त में हैं, अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 तक के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि घोषित कर रेकर्ड दुरस्ती का आदेश फरमाया जावे।
- कि माफिक घोषणा हक खातेदारी के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराया जावे।
- कि अन्य अनुतोष जो लाभार्थ वादी हो दिलाये जावे।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किया।

प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से श्री डुंगरराम चौधरी ने वकालतनामा पेश किया।

प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से श्री राजेश चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का सम्मन बाद स्वयं की तामिल एंव प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का सम्मन भाई शंकरराम से तामिल एवं प्रतिवादी संख्या 6 का सम्मन पुत्री गुडड़ी से तामिल सुदा प्राप्त हुआ जो संलग्न पत्रावली हैं।

वादी पन्नाराम एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की ओर से दिनांक 01.12.2017 को पीठासन अधिकारी की मौजूदगी में राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर संलग्न पत्रावली हैं।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

पत्रावली संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। इसमें पक्षकारों के मध्य दिनांक 01.12.2017 को राजीनामा होकर तस्दीक किया जा चुका हैं। अतः वादी क़ा वाद माफीक राजीनामा निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैं :-

1. वादी पन्नाराम के हक व हिस्से में व कब्जा काश्त में ग्राम पिथोलाई के खसरा नम्बर 36 कां सम्पूर्ण रकबा 0.10 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 37 का रकबा 27.13 बीघा में से 6 बीघा की भूमि एवं ग्राम छीला के खसरा नम्बर 218 का सम्पूर्ण रकबा 25 बीघा भूमि कुल भूमि 31.10 बीघा माफिक राजीनामा अनुसार घोषित किया जाता हैं।
2. प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुनराम के बंट कब्जे काश्त व खातेदारी में ग्राम पिथोलाई के खसरा नम्बर 37 में से रकबा 21.04 बीघा पश्चिमी दक्षिणी तरफ का हिस्सा व ग्राम बू कर्मसोता के खसरा नं. 415 में से 10.04 बीघा भूमि पूर्वी तरफ की कुल रकबा 31.08 बीघा माफिक राजीनामा अनुसार घोषित किया जाता हैं।
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के संयुक्त बंट कब्जे काश्त व खातेदारी में ग्रम पिथोलाई के खसरा नम्बर 52 का सम्पूर्ण हिस्सा रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा व ग्राम बू कर्मसोता के खसरा नम्बर 415 रकबा 2.19 बीघा कुल भूमि 31.14 बीघा माफिक राजीनामा अनुसार घोषित किया जाता हैं।
4. ग्रम पिथोलाई के खेत खसरा नम्बर 37 के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पश्चिम से पूर्व तरफ एक रास्ता रखा गया हैं, जिसकी 20 फुट चौडाई व लम्बाई 6 जरीब लगभग कुल 09 बिस्वा भूमि माफिक राजीनामा अनुसार घोषित किया जाता हैं।
   उक्त भूमि आने जाने के लिए 20 फुट चौड़ा रास्ता के रूप में संयुक्त रूप से उपयोग के लिए रखी गइ।
   नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी पेश करने पर डिक्री जारी हो।

निर्णय दिनांक 04.09.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(रामजस विश्नोई)
आर ए एस
सहायक कलक्टर (मु.)
सहायक कलेक्टर (मु.) नागौर

दिनांक 8/3/2021

निर्णय के पृष्ठ संख्या 4 में डिक्री के पेरा नं. 2 में ग्राम बू कर्मसोता के ख.नं. 415 में से 10.04 बीघा की जगह ख.नं. 657/415 में से 9-18 बीघा भूमि पूर्वी तरफ की एवं 658/415 रकबा 6 बिस्वा किस्म गै.मु. रास्ता एवं पेरा सं. 3 में ग्राम बू कर्मसोता के ख.नं. 415 रकबा 2-19 बीघा की जगह ख.नं. 657/415 मे से 2-19 बीघा पश्चिमी तरफ की दुरूस्त की जाती है।

8/3/21

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर